

घ—टनभार कर स्कीम के लागू होने की शर्तें

टनभार कर आरक्षिति खाते में लाभों का अंतरण ।

115फन. (1) किसी टनभार कर कंपनी से, इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए और उनके अनुसार एक आरक्षिति खाते में, (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में टनभार कर आरक्षिति खाता कहा गया है) प्रत्येक पूर्ववर्ष में धारा 115फझ की उपधारा (1) के खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों से व्युत्पन्न बही लाभों के बीस प्रतिशत से अन्यून रकम, उपधारा (3) में अधिकथित रीति से उपयोग किए जाने के लिए जमा करने की अपेक्षा की जाएगी :

5

परंतु कोई टनभार कर कंपनी बही लाभ के बीस प्रतिशत से अधिक राशि का अंतरण कर सकेगी और इस प्रकार अंतरित की गई अधिक राशि का भी, उपधारा (3) में अधिकथित रीति से उपयोग किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “बही लाभ”, जहां तक उसका संबंध धारा 115फझ की उपधारा (1) के खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों से व्युत्पन्न आय से है, वही अर्थ है, जो धारा 115अख की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में है ।

10

(2) जहां, किसी कंपनी को अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार से बही लाभ और किन्हीं अन्य स्रोतों से बही हानि होती है और परिणामस्वरूप कंपनी उपधारा (1) के अधीन आरक्षितियों का पूर्णतः या भागतः सृजन करने की स्थिति में नहीं है, वहां कंपनी उस पूर्ववर्ष में संभव सीमा तक आरक्षितियों का सृजन करेगी और कमी, यदि कोई है, आगामी पूर्ववर्ष के लिए सृजित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षितियों की रकम में जोड़ दी जाएगी और ऐसी कमी उस आगामी पूर्ववर्ष की आरक्षिति अपेक्षा का भाग समझी जाएगी:

15

परंतु उस सीमा तक, जिस तक किसी विशिष्ट पूर्ववर्ष के दौरान आरक्षिति के सृजन में कमी, इस उपधारा के अधीन आगामी पूर्ववर्ष को अग्रनीत की जाती है, कंपनी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने प्रथम उल्लिखित पूर्ववर्ष के लिए पर्याप्त आरक्षिति का सृजन कर लिया है :

परंतु यह और कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात उस दशा में दूसरे वर्ष के संबंध में लागू नहीं होगी, जिसमें आरक्षिति के सृजन में कमी दो क्रमवर्ती पूर्ववर्षों में बनी रहती है ।

20

(3) उपधारा (1) के अधीन टनभार कर आरक्षिति खाते में जमा की गई रकम का उपयोग, कंपनी द्वारा उस पूर्ववर्ष के, जिसमें रकम जमा की गई थी, आगामी अगले आठ वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व निम्नलिखित के लिए किया जाएगा—

(क) कंपनी के कारबार के प्रयोजनों के लिए किसी नए पोत का अर्जन करने के लिए ; और

(ख) नए पोत का अर्जन किए जाने तक, लाभांशों या लाभों के रूप में वितरण से अन्यथा अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार के प्रयोजनों के लिए या लाभ के रूप में भारत से बाहर प्रेषण के लिए या भारत से बाहर किसी आर्स्टि के सृजन के लिए ।

25

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन टनभार कर आरक्षिति खाते में जमा किसी रकम का,—

(क) उपधारा (3) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है ; या

(ख) उपधारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया गया है ; या

(ग) उपधारा (3) के खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट नए पोत का अर्जन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, किन्तु ऐसे पोत का कंपनी द्वारा निर्विलयन की किसी स्कीम के अनुसार से अन्यथा उस पूर्ववर्ष की समाप्ति से, जिसमें वह अर्जित किया गया था, तीन वर्ष के अवसान के पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति को विक्रय कर दिया गया है या अन्यथा अंतरित कर दिया गया है,

30

वहां वह रकम, जिसका उस वर्ष की, जिसमें ऐसी आरक्षिति का सृजन किया गया था, सुसंगत कुल पोत आय से वही अनुपात है जो इस प्रकार उपयोग की गई या उपयोग न की गई ऐसे आरक्षिति की रकम का, उपधारा (1) के अधीन उस वर्ष के दौरान सृजित कुल आरक्षिति से है, निम्नलिखित दशाओं में इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कराधेय होगी—

35

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट दशा में उस वर्ष में, जिसमें रकम का इस प्रकार उपयोग किया गया था ; या

(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट दशा में, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट आठ वर्ष की अवधि के ठीक बाद वाले वर्ष में ; या

(iii) खंड (ग) में निर्दिष्ट दशा में, उस वर्ष में जिसमें विक्रय या अंतरण हुआ था :

परंतु अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन इस प्रकार कराधेय आय, ऐसे आरक्षिति के सृजन के वर्ष में कर से प्रभार्य आनुपातिक टनभार कर आय से घटा दी जाएगी ।

40

(5) इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां उपधारा (1) के अनुसार टनभार कर आरक्षिति खाते में जमा की गई रकम, उपधारा (1) के अधीन जमा किए जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम रकम से कम है, वहां वह रकम, जिसका कुल सुसंगत पोत आय से वही अनुपात है जो आरक्षिति में जमा की कमी का उपधारा (1) के अधीन जमा किए जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आरक्षिति से है, टनभार कर स्कीम के अधीन कराधेय नहीं होगी और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कराधेय होगी।

45

(6) यदि उपधारा (1) के अधीन सृजित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षिति का, दो क्रमवर्ती पूर्ववर्षों के लिए सृजन नहीं किया गया है तो कंपनी का टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प उस दूसरे क्रमवर्ती पूर्ववर्ष के आगामी पूर्ववर्ष के प्रारंभ से, जिसमें उपधारा (1) के अधीन आरक्षिति का सृजन करने में असफलता हुई थी, प्रभावी नहीं रह जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “नया पोत” में ऐसा अर्हक पोत सम्मिलित है जिसका अर्हक कंपनी द्वारा अर्जन की तारीख से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, यदि वह ऐसे अर्जन की तारीख से पूर्व किसी समय भारत में निवासी किसी व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं था, उपयोग किया जा रहा था ।

50

टनभार कर कंपनी के लिए न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षा ।

115फप. (1) टनभार कर कंपनी, धारा 115फत की उपधारा (3) के अधीन उसके विकल्प का अनुमोदन किए जाने के पश्चात्, पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा विरचित और केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रशिक्षु अधिकारियों के संबंध में न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षा का अनुपालन करेगी ।

55

(2) टनभार कर कंपनी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह धारा 139 के अधीन आय की विवरणी के साथ पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा जारी किए गए इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत करे कि ऐसी कंपनी ने उपधारा (1) में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार पूर्ववर्ष के लिए न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षा का अनुपालन किया है, ।

5 (3) यदि न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षा का किन्हीं पांच क्रमवर्ती पूर्ववर्षों के लिए अनुपालन नहीं किया जाता है तो टनभार कर स्कीम के लिए कंपनी का विकल्प उस पांचवें क्रमवर्ती पूर्ववर्ष के, जिसमें उपधारा (1) के अधीन न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षा के अनुपालन में असफलता हुई थी, आगामी पूर्ववर्ष के प्रारंभ से प्रभावी नहीं रह जाएगा ।

115फफ. (1) ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसने टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का प्रयोग किया है, किसी पूर्ववर्ष के टनभार भाड़े पर लेने के दौरान उसके द्वारा प्रचालित अर्हक पोतों के शुद्ध टनभार का उनचास प्रतिशत से अनधिक भाड़े पर लिया जाएगा ।

10 (2) किसी पूर्ववर्ष के संबंध में, उपधारा (1) में निर्दिष्ट शुद्ध टनभार, का अनुपात उस पूर्ववर्ष के दौरान शुद्ध टनभार के औसत के आधार पर संगणित किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, शुद्ध टनभार का औसत, निम्नलिखित रीति से संगणित किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) टनभार कर कंपनी के स्वामित्वाधीन प्रत्येक अर्हक पोत का शुद्ध टनभार, जो पूर्ववर्ष के अंतिम दिन के अंत में हो, संकलित किया जाएगा ; और

(ख) इस प्रकार प्राप्त राशि को, कंपनी के स्वामित्वाधीन अर्हक पोतों की संख्या द्वारा विभाजित किया जाएगा ।

15 (4) जहां भाड़े पर लिए गए नए पोतों का शुद्ध टनभार, किसी पूर्ववर्ष के दौरान उपधारा (1) के अधीन परिसीमा से अधिक हो जाता है, वहां ऐसी कंपनी की, उस पूर्ववर्ष के संबंध में, कुल आय इस प्रकार संगणित की जाएगी, मानो उस पूर्ववर्ष के लिए टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का कोई प्रभाव नहीं था ।

(5) जहां उपधारा (1) के अधीन परिसीमा, किन्हीं दो क्रमवर्ती पूर्ववर्षों में अधिक हो जाती है, वहां टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प उस दूसरे क्रमवर्ती पूर्ववर्ष के, जिसमें परिसीमा अधिक हो गई थी, आगामी पूर्ववर्ष के प्रारंभ से प्रभावी नहीं रहेगा।

20 **स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजन के लिए, “भाड़े पर लिया गया” पद से अनावृत्त नौका चार्टर-सह-पट्टांतरण निबंधनों पर कंपनी द्वारा भाड़े पर लिया गया पोत अपवर्जित किया जाएगा ।

115फव. किसी टनभार कर कंपनी द्वारा टनभार कर स्कीम के लिए किसी विकल्प का, किसी पूर्ववर्ष के संबंध में तब तक प्रभाव लेखाओं का रखा जाना नहीं होगा, जब तक ऐसी कंपनी,— और लेखापरीक्षा ।

(i) अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार के संबंध में पृथक् लेखा बहियां नहीं रखती है ; और

25 (ii) उस पूर्ववर्ष की आय की विवरणी के साथ विहित प्ररूप में लेखापाल की, ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित, रिपोर्ट नहीं देती है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “लेखापाल” का वही अर्थ है, जो धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में है ।

115फभ. (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

टनभार का अवधारण ।

30 (क) किसी पोत का टनभार, उसके टनभार को उपदर्शित करने वाले किसी विधिमान्य प्रमाणपत्र के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

(ख) “विधिमान्य प्रमाणपत्र” से अभिप्रेत है,—

(i) भारत में रजिस्ट्रीकृत पोतों की दशा में,—

1958 का 44

35 (अ) जिनकी लंबाई चौबीस मीटर से कम है, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन बनाए गए वाणिज्यिक पोत परिवहन (पोत का टनभार माप) नियम, 1987 के अधीन जारी किया गया कोई प्रमाणपत्र ;

1958 का 44

(आ) जिनकी लंबाई चौबीस मीटर या उससे अधिक है, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन बनाए गए वाणिज्यिक पोत (पोत का टनभार माप) नियम, 1987 में यथाविनिर्दिष्ट पोत टनभार माप कन्वेंशन, 1969 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया कोई अंतरराष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र ;

1958 का 44

40 (ii) भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत पोतों की दशा में, उस ध्वज राज्य प्रशासन द्वारा, जहां पोत रजिस्ट्रीकृत है, जारी किए गए टनभार प्रमाणपत्र के आधार पर शुद्ध टनभार विनिर्दिष्ट करते हुए, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 406 या धारा 407 के अधीन, पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा जारी की गई कोई अनुज्ञप्ति या पोत को भाड़े पर लेने के लिए अनुज्ञा मांगते समय पोत के स्वामी द्वारा प्रस्तुत पोत परिवहन महानिदेशक को स्वीकार्य कोई अन्य साक्ष्य ।

ड — पोत परिवहन कंपनियों का समामेलन और निर्विलयन

45 115फम. जहां किसी कंपनी का अन्य कंपनी या कंपनियों के साथ समामेलन हो गया है, वहां इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन समामेलन । रहते हुए, टनभार कर स्कीम से संबंधित उपबंध यथासाध्य समामेलित कंपनी को, यदि वह एक अर्हक कंपनी है, लागू होंगे ;

परंतु जहां समामेलित कंपनी कोई टनभार कर कंपनी नहीं है, वहां वह समामेलन की स्कीम के अनुमोदन की तारीख से तीन मास के भीतर धारा 115फत की उपधारा (1) के अधीन टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का प्रयोग करेगी ;

50 परंतु यह और कि जहां समामेलक कंपनियां टनभार कर कंपनियां हैं, वहां इस अध्याय के उपबंध, यथासाध्य समामेलित कंपनियों को ऐसी अवधि के लिए लागू होंगे, जिसमें टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प, जिसकी सबसे लंबी अनवसित अवधि है, प्रवृत्त बना रहता है :

परंतु यह भी कि जहां समामेलक कंपनियों में से कोई एक कंपनी 1 अक्टूबर, 2004 से अर्हक कंपनी है और जिसने प्रारंभिक अवधि के भीतर टनभार स्कीम के लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, वहां इस अध्याय के उपबंध समामेलित कंपनी को लागू नहीं

होंगे और समामेलित कंपनी की उस आय को, जो अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार से हो, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार संगणित किया जाएगा।

निर्विलयन।

115फय. जहां किसी निर्विलयन स्कीम में, निर्विलीन कंपनी अपने कारबार का, टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प की समाप्ति से पूर्व परिणामी कंपनी को अंतरण करती है वहां इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, टनभार कर स्कीम, यथासाध्य, अनवसित अवधि के लिए परिणामी कंपनी को, यदि यह कोई अर्हक कंपनी है, लागू होगी :

5

परंतु यह कि निर्विलयन कंपनी के संबंध में टनभार कर स्कीम का विकल्प, टनभार कर स्कीम की अनवसित अवधि के लिए यदि वह अर्हक कंपनी बनी रहती है तो प्रवृत्त बना रहेगा।

च—प्रकीर्ण

अर्हक पोतों के अस्थायी तौर पर प्रचालन में न रहने का प्रभाव।

115फयक. (1) किसी कंपनी द्वारा किसी अर्हक पोत के अस्थायी तौर पर प्रचालन में न रहने को (स्थायी तौर पर प्रचालन में न रहने के विपरीत) ऐसे अर्हक पोत के प्रचालन के बंद होने के रूप में नहीं समझा जाएगा और कंपनी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए ऐसे अर्हक पोत का प्रचालन कर रही है।

10

(2) जहां कोई अर्हक कंपनी ऐसे पोत का प्रचालन करती रहती है जो अस्थायी रूप से अर्हक पोत नहीं रह गया है, वहां ऐसे पोत को इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अर्हक पोत नहीं समझा जाएगा।

छ—इस अध्याय के उपबंधों का कतिपय मामलों में लागू न होना

कर का परिवर्तन।

115फयख. (1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, टनभार कर स्कीम वहां लागू नहीं होगी जहां कोई टनभार कर कंपनी किसी ऐसे संव्यवहार या ठहराव में कोई पक्षकार है जो टनभार स्कीम के दुरुपयोग की कोटि में आता है।

15

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, किसी संव्यवहार या ठहराव को दुरुपयोग समझा जाएगा, यदि ऐसे संव्यवहार या ठहराव को करने या लागू करने के परिणामस्वरूप यदि यह धारा न होती तो यह परिणाम होता कि जिससे,—

(i) किसी टनभार कर कंपनी से भिन्न किसी कंपनी ; या

(ii) गैर टनभार कर क्रियाकलापों के संबंध में किसी टनभार कर कंपनी,—

20

के लिए कर में फायदा प्राप्त होता।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “कर फायदा” में निम्नलिखित सम्मिलित है,—

(i) यथास्थिति, किसी व्यय या हित के लिए मोक का अवधारण अथवा किसी लागत या आबंटित या प्रभाजित व्यय का अवधारण, जिसका प्रभाव, ऐसे पूर्ववर्ष के संबंध में, जिसमें संव्यवहार किया गया था, लेखाबहियों में की गई प्रविष्टियों के आधार पर संगणित कर से प्रभार्य टनभार कर क्रियाकलापों से भिन्न क्रियाकलापों से, यथास्थिति, आय में कमी करना या हानि में वृद्धि करना है ; या

25

(ii) कोई ऐसा संव्यवहार या ठहराव, जो टनभार कर कंपनी को सामान्य लाभों से, जिनके टनभार कर क्रियाकलापों से उद्भूत होने की आशा है, अधिक लाभ देता है।

टनभार कर स्कीम से अपवर्जन।

115फयग. (1) जहां कोई टनभार कर कंपनी धारा 115फयख की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संव्यवहार या ठहराव में कोई पक्षकार है, वहां निर्धारण अधिकारी किसी लिखित आदेश द्वारा ऐसी कंपनी को टनभार कर स्कीम से अपवर्जित करेगा :

30

परंतु यह कि निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसी कंपनी को, ऐसी सूचना की तामील करके जिसमें उससे सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा की जाएगी कि उसे टनभार कर स्कीम से क्यों नहीं अपवर्जित किया जाए, सुनवाई का अवसर दिया जाएगा :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश मुख्य आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के उपबंध, वहां लागू नहीं होंगे, जहां कंपनी निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह दर्शित करती है कि संव्यवहार या ठहराव सद्भाविक वाणिज्यिक संव्यवहार था और इस अध्याय के अधीन कर फायदा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए नहीं किया गया था।

35

(3) जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा टनभार कर कंपनी को टनभार कर स्कीम से अपवर्जित करते हुए उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित कर दिया गया है, वहां टनभार कर स्कीम का विकल्प उस पूर्ववर्ष की, जिसमें संव्यवहार या ठहराव किया गया था, पहली अप्रैल से प्रवृत्त नहीं रह जाएगा।

40

धारा 139 का संशोधन।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (9) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में, “जिसके स्रोत पर काटे जाने” शब्दों के स्थान पर, “जिसके 1 अप्रैल, 2005 के पूर्व स्रोत पर काटे जाने” शब्द और अंक, 1 अप्रैल, 2005 से, रखे जाएंगे।

धारा 139क का संशोधन।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 139क में,—

(क) उपधारा (5क) में, 1 अप्रैल, 2005 से, पहले परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (5ग) और उपधारा (5घ) में, “क्रेता” शब्द के स्थान पर, “क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार” शब्द 1 अक्टूबर, 2004 से रखे जाएंगे।

45

नई धारा 142क का अंतःस्थापन।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 142 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और 15 नवम्बर, 1972 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय मामलों में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा प्राक्कलन।

‘142क. (1) इस अधिनियम के अधीन कोई निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, जहां धारा 69 या धारा 69ख में निर्दिष्ट किसी विनिधान के मूल्य या धारा 69क या धारा 69ख में निर्दिष्ट किसी सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु के मूल्य का कोई प्राक्कलन किया जाना अपेक्षित है, वहां निर्धारण अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी से ऐसे मूल्य का प्राक्कलन करने और रिपोर्ट देने की अपेक्षा कर सकेगा।

50

(2) ऐसे मूल्यांकन अधिकारी को, जिसे उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया जाता है, ऐसे निर्देश के संबंध में कार्रवाई करने के प्रयोजन के लिए, वे सभी शक्तियां होंगी जो उसे धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 38क के अधीन हैं।

(3) मूल्यांकन अधिकारी से रिपोर्ट की प्राप्ति पर, निर्धारण अधिकारी, निर्धारित को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसा निर्धारण या पुनःनिर्धारण करते समय ऐसी रिपोर्ट को हिसाब में ले सकेगा :

- 5 परंतु इस धारा की कोई बात, 30 सितंबर, 2004 को या उससे पूर्व किसी निर्धारण के संबंध में और जहां ऐसा निर्धारण उस तारीख से पूर्व अंतिम और निश्चयक हो गया है, लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, “मूल्यांकन अधिकारी” का वही अर्थ है, जो धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 2 के खंड (द) में है।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 153 के स्पष्टीकरण में, 1 अक्टूबर, 2004 से,—

- 10 (क) खंड (v) में, “प्राप्त किया जाना है” शब्दों के स्थान पर, “प्राप्त किया जाना है; या” शब्द रखे जाएंगे ;

धारा 153 का संशोधन।

(ख) खंड (v) के पश्चात्, “समाप्त होने वाली कालावधि” शब्दों के पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

- 15 “(vi) उस तारीख से, जिसको धारा 245थ की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष कोई आवेदन किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको धारा 245द की उपधारा (3) के अधीन आवेदन को खारिज करने वाला आदेश आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली कालावधि ; या

(vii) उस तारीख से, जिसको धारा 245थ की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष कोई आवेदन किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको धारा 245द की उपधारा (7) के अधीन उसके द्वारा घोषित अग्रिम विनिर्णय, आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली कालावधि,।”

33. आय-कर अधिनियम की धारा 153ख की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में, 1 अक्टूबर, 2004 से,—

धारा 153ख का संशोधन।

- 20 (क) खंड (iv) में, “प्राप्त किया जाना है” शब्दों के स्थान पर, “प्राप्त किया जाना है; या” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (iv) के पश्चात्, और “अपवर्जित की जाएगी:” शब्दों से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(v) उस तारीख से, जिसको धारा 245थ की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष कोई आवेदन किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको धारा 245द की उपधारा (3) के अधीन आवेदन को खारिज करने वाला आदेश आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली कालावधि ; या

- 25 (vi) उस तारीख से, जिसको धारा 245थ की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष कोई आवेदन किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको धारा 245द की उपधारा (7) के अधीन उसके द्वारा घोषित अग्रिम विनिर्णय, आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली कालावधि,।”

34. आय-कर अधिनियम की धारा 194ग की उपधारा (3) के खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड 1 अक्टूबर, 2004 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

धारा 194ग का संशोधन।

- 30 “(i) यथास्थिति, किसी ऐसी राशि की रकम से, जो टेकेदार या उप टेकेदार के खाते में जमा की गई है या उसको संदत्त की गई है या जिसके जमा किए जाने या संदत्त किए जाने की संभावना है, यदि ऐसी राशि बीस हजार रुपए से अधिक नहीं होती है :

परंतु जहां ऐसी राशि की रकमों का योग, जो टेकेदार या उप टेकेदार के खाते में जमा की गई है या उसको संदत्त की गई है या जिसके जमा किए जाने या संदत्त किए जाने की संभावना है, वित्तीय वर्ष के दौरान पचास हजार रुपए से अधिक होता है तो, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट ऐसी राशियों का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती करने के दायित्वाधीन होगा।”।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अक्टूबर, 2004 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 194ठक का अंतःस्थापन।

“194ठक. कोई व्यक्ति, जो किसी स्थावर संपत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) के तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन मद्दे प्रतिकर या वर्धित प्रतिकर या प्रतिफल या वर्धित प्रतिफल के रूप में किसी राशि का किसी निवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि का नकद रूप में या चैक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, संदाय करते समय उस पर आय-कर के रूप में उस राशि के दस प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती करेगा :

कतिपय स्थावर संपत्ति के अर्जन पर प्रतिकर का संदाय।

परंतु इस धारा के अधीन कोई कटौती उस दशा में नहीं की जाएगी जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान किसी निवासी को, यथास्थिति, ऐसे संदाय की रकम या ऐसे संदायों की कुल रकम एक लाख रुपए से अधिक नहीं होती है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

- 45 (i) “कृषि भूमि” से भारत में कृषि भूमि अभिप्रेत है जिसमें धारा 2 के खंड (14) के उपखंड (iii) की मद (क) और मद (ख) में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र में अवस्थित भूमि सम्मिलित है ;

(ii) “स्थावर संपत्ति” से कोई भूमि (कृषि भूमि से भिन्न) या कोई भवन या किसी भवन का भाग अभिप्रेत है।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 197 की उपधारा (1) में, “धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 197 का संशोधन। धारा 194ञ, धारा 194ट” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ञ, धारा 194ट, धारा 194ठक” शब्द, अंक और अक्षर, 1 अक्टूबर, 2004 से रखे जाएंगे।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 198 में, “धारा 192 से” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “और धारा 196घ के उपबंधों” शब्दों, अंक धारा 198 का संशोधन। और अक्षर पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, “इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों” शब्द, 1 अक्टूबर, 2004 से रखे जाएंगे।

- धारा 199 का संशोधन। **38.** आय-कर अधिनियम की धारा 199 में,—
- (क) उपधारा (1) में, “धारा 192” शब्द और अंकों से प्रारंभ होने वाले और “धारा 196घ के उपबंधों” पर समाप्त होने वाले शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों” शब्द, 1 अक्टूबर, 2004 से रखे जाएंगे ;
- (ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, अंत में, 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- “(3) जहां कोई कटौती, 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात्, इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार की जाती है और केंद्रीय सरकार को संदत्त की जाती है, वहां कटौती किए गए और धारा 203कक में निर्दिष्ट विवरण में विनिर्दिष्ट कर की रकम, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की ओर से संदत्त किए गए कर के रूप में मानी जाएगी और इस अधिनियम के अधीन किए गए निर्धारण में इस प्रकार कटौती की गई रकम के लिए, उसे उस निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके लिए ऐसी आय निर्धारणीय है, प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना, मुजरा दिया जाएगा।”।
- धारा 200 का संशोधन। **39.** आय-कर अधिनियम की धारा 200 में,—
- (क) उपधारा (1) में, “धारा 192” शब्द और अंकों से प्रारंभ होने वाले और “धारा 196घ के उपबंधों” पर समाप्त होने वाले शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों” शब्द, 1 अक्टूबर, 2004 से रखे जाएंगे ;
- (ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- “(3) यथास्थिति, कोई व्यक्ति, जो 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार किसी राशि की कटौती करता है या कोई व्यक्ति जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कोई नियोजक है, केंद्रीय सरकार के खाते में कटौती किए गए कर का संदाय करने के पश्चात्, विहित समय के भीतर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तिमाही विवरण तैयार करेगा और ऐसा विवरण ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित कराकर और ऐसी विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, विहित आय-कर प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करेगा या कराएगा।”।
- धारा 202 का संशोधन। **40.** आय-कर अधिनियम की धारा 202 में, “धारा 192” शब्द और अंकों से प्रारंभ होने वाले और “धारा 196घ के” पर समाप्त होने वाले शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के” शब्द, 1 अक्टूबर, 2004 से रखे जाएंगे ।
- धारा 203 का संशोधन। **41.** आय-कर अधिनियम की धारा 203 में,—
- (क) उपधारा (1) में, “जो धारा 192 से” शब्दों और अंकों से प्रारंभ होने वाले और “धारा 196घ के उपबंधों” पर समाप्त होने वाले शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों” शब्द, 1 अक्टूबर, 2004 से रखे जाएंगे ;
- (ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- “(3) जहां कर की कटौती, 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार की गई है, या उसे संदत्त किया गया है वहां, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।”।
- धारा 203क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
- कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक। **42.** आय-कर अधिनियम की धारा 203क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा, 1 अक्टूबर, 2004 से रखी जाएगी, अर्थात् :—
- ‘203क. (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती या कर का संग्रहण करता है, जिसे, यथास्थिति, कर कटौती लेखा संख्यांक या कर संग्रहण लेखा संख्यांक नहीं दिया गया है, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, निर्धारण अधिकारी को, “कर कटौती और कर संग्रहण लेखा संख्यांक” के आबंटन के लिए आवेदन करेगा ।
- (2) जहां, यथास्थिति, “कर कटौती लेखा संख्यांक” या “कर संग्रहण लेखा संख्यांक” या “कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक” किसी व्यक्ति को दिया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति—
- (क) धारा 200 या धारा 206ग की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार किसी राशि के संदाय के लिए सभी चालानों में ;
- (ख) धारा 203 या धारा 206ग की उपधारा (5) के अधीन दिए गए सभी प्रमाणपत्रों में ;
- (ग) धारा 206 या धारा 206ग की उपधारा (5क) या उपधारा (5ख) के अनुसार किसी आय-कर प्राधिकारी को परिदत्त सभी विवरणियों में ; और
- (घ) ऐसे संव्यवहारों से संबंधित सभी अन्य दस्तावेजों में, जो राजस्व के हित में विहित किए जाएं, उस संख्यांक का हवाला देगा।”।
- नई धारा 203कक का अंतःस्थापन ।
- कटौती किए गए कर, आदि का विवरण दिया जाना । **43.** आय-कर अधिनियम की धारा 203क के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2005 से निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- “203कक. विहित आय-कर प्राधिकारी या धारा 200 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, विहित समय के भीतर विहित प्ररूप में, इस प्रकार कटौती की गई और संदत्त कर की रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट करते हुए एक विवरण तैयार करेगा और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिससे आय-कर की कटौती की गई है या जिसकी बाबत आय-कर का संदाय किया गया है, परिदत्त करेगा।”।
- धारा 204 का संशोधन। **44.** आय-कर अधिनियम की धारा 204 में, “धारा 192 से” शब्दों और अंकों से प्रारंभ होने वाले और “और धारा 203 तक” पर समाप्त होने वाले शब्दों और अंकों के स्थान पर, “इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों” शब्द, 1 अक्टूबर, 2004 से रखे जाएंगे ।
- धारा 205 का संशोधन। **45.** आय-कर अधिनियम की धारा 205 में, “धारा 192 से” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “धारा 196घ के” शब्दों, अंकों और अक्षर पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, “इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के” शब्द, 1 अक्टूबर, 2004 से रखे जाएंगे ।
- धारा 206 का संशोधन। **46.** आय-कर अधिनियम की धारा 206 में,—
- (क) उपधारा (1) में, 1 अक्टूबर, 2004 से,—
- (i) “विहित आय-कर प्राधिकारी” शब्दों के स्थान पर, “विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसा अन्य प्राधिकारी या अभिकरण, जो विहित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे ;